



भारत का राजपत्र

The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1421]

नई दिल्ली, मंगलवार, सितम्बर 8, 2009/भाद्र 17, 1931
NEW DELHI, TUESDAY, SEPTEMBER 8, 2009/BHADRA 17, 1931

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 8 सितम्बर, 2009

का.आ. 2282(अ).—केन्द्रीय विक्री कर अधिनियम, 1956 (1956 का 74) के खंड 5 के उप-खंड (5) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार एटद्वारा उक्त उप-खंड के प्रयोग के लिए किंगफिशर एयरलाइंस को “पदनामित भारतीय वाहक” के रूप में विनिर्दिष्ट करती है।

[फा. सं. एस-28011/2/2009-एसओ-(एस टी)]

अरविंद कुमार, अवर सचिव

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Revenue)

NOTIFICATION

New Delhi, the 8th September, 2009

S.O. 2282(E).—In exercise of the powers conferred by Sub-section (5) of Section 5 of the Central Sales Tax Act, 1956 (74 of 1956), the Central Government hereby specifies Kingfisher Airlines as “designated Indian carrier” for the purpose of the said Sub-section.

[F. No. S-28011/2/2009-SO (ST)]

ARVIND KUMAR, Under Secy.